

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस  
राजस्व वाद संख्या :- 12/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. देवली पुत्री स्व. पूनाराम पत्नी श्री नेकाराम आयु 54 वर्ष जाति सीरवी निवासी परिहारों की ढीमड़ी, कृषि मण्डी के सामने बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा		1. हनुमानराम पुत्र श्री कानाराम 2. प्रकाश पुत्र श्री कानाराम 3. पारकी पत्नी श्री कानाराम 4. रेखा पुत्री श्री कानाराम 5. लीला पुत्री श्री कानाराम 6. विद्या पुत्री श्री कानाराम 7. भूरीदेवी पत्नी पूनाराम सभी जातियान सीरवी निवासी बेरा नोकड़ा बाईपास पर ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. सुखीदेवी पुत्री श्री पूनाराम पत्नी गोपाराम, आयु 52 वर्ष, जाति सीरवी निवासी बेरा राठौड़ो का उगनिया बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा		8. तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर
3. सुगनाई पुत्री पूनाराम पत्नी किरताराम आयु 46 वर्ष, जाति सीरवी निवासी बेरा हाम्बड़ो का बास, ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा		9. सरपंच ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा
4. पानकी पुत्री श्री पूनाराम पत्नी श्री मंगलाराम आयु 62 वर्ष, जाति सीरवी निवासी बेरा नोकड़ा ग्राम देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 2445 ग्राम खारिया मीठापुर जो सरपंच ग्राम  
पंचायत खारिया मीठापुर पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा दिनांक 20.02.  
2002 को स्वीकार किया गया।

निर्णय

दिनांक :- 23.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी  
गयी। अपीलाण्ट्स स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अपीलाण्ट को बार-बार  
रुक रुककर आवाजे दिलायी गयी मगर अपीलाण्ट स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित  
नहीं। अतः अपीलाण्ट की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।  
निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)  
सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा